प्रेस विज्ञप्ति

29.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय ने क्रिप्टो/स्टेबल कॉइन का उपयोग करके सीमा पार किए गए अनधिकृत धन प्रेषण के मामलों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान पता चला कि अनधिकृत धन हस्तांतरण और वित्तीय लेन-देन के लिए क्रिप्टो टोकन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय के बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने, क्रिप्टो (विशेष रूप से स्टेबल कॉइन) का उपयोग करके सीमा पार अनधिकृत वित्तीय लेन-देन के आरोपों के चलते, फेमा , 1999 की धारा 37 के तहत 27.10.2026 को बेंगलुरु में 3 स्थानों और मध्य प्रदेश में 1 स्थान पर तलाशी ली।

मुड्रेक्स

प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु स्थित मेसर्स आरपीएफएस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड' के खिलाफ मिली शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की। यह कंपनी 'मड्रेक्स' और 'सेबर.मनी' (नाम के प्लेटफॉर्म चलाती है, जहां क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करके बिना अनुमति के सीमा-पार लेनदेन और क्रिप्टो ट्रेडिंग की जाती है। निदेशालय की गुप्त जांच और जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला है कि कंपनी फेमा नियमों का उल्लंघन कर रही थी। इसके लिए वे क्रिप्टो टोकन (खासकर USDT/USDC जैसे स्टेबल कॉइन) का इस्तेमाल करके एक अनधिकृत सीमा-पार भुगतान प्रणाली चला रहे थे, जिससे पैसे भेजने के अधिकृत चैनलों को दरकिनार कर दिया जाता था।

यह संस्था भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिकृत न होने के बावजूद, क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके सीमाओं के पार तुरंत पैसे भेजने (इंस्टेंट मनी ट्रांसफर) का खुलेआम विज्ञापन कर रही है।

यह संस्था इंटरनेट वेब पेजों पर खुलकर विज्ञापन करती है और ऐसी सेवाएं देती है, जिनमें क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री और अदला-बदली (स्वैपिंग/कन्वर्टिंग) शामिल है। इसके जरिए फिएट करेंसी (सामान्य मुद्रा) को क्रिप्टोकरेंसी में और क्रिप्टोकरेंसी को वापस फिएट करेंसी में सबसे तेजी से बदला जा सकता है, ताकि दुनिया भर में पैसे भेजे जा सकें।

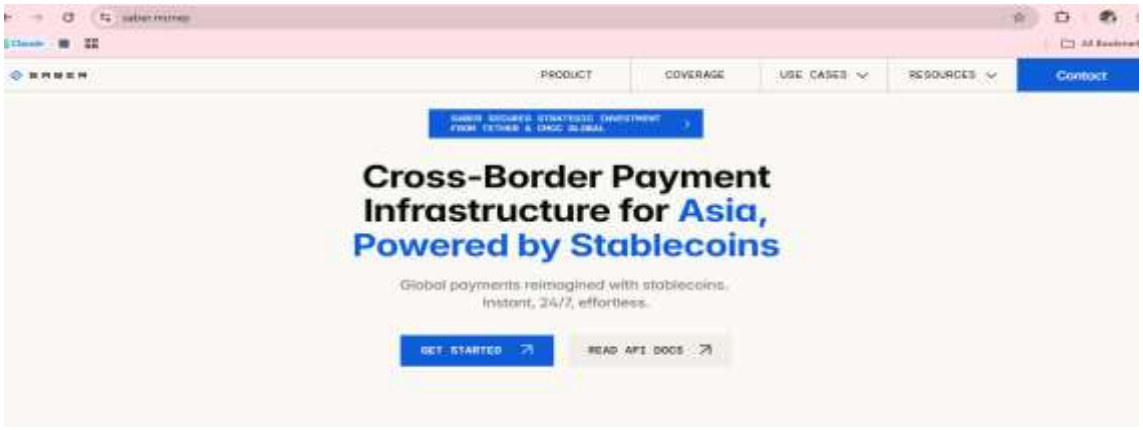
यह संस्था इंटरनेट वेब पेजों पर खुलकर विज्ञापन देती है और ऐसी सेवाएं प्रदान करती है, जिनमें क्रिप्टोकरेंसी की तुरंत खरीद, बिक्री और अदला-बदली (स्वैपिंग/कन्वर्टिंग) शामिल है। यह फिएट (पारंपरिक मुद्रा) को क्रिप्टोकरेंसी में और क्रिप्टोकरेंसी को वापस फिएट में बदलने का सबसे तेज़ तरीका है, जिसका उपयोग वैश्विक स्तर पर पैसे भेजने के लिए किया जा सकता है।

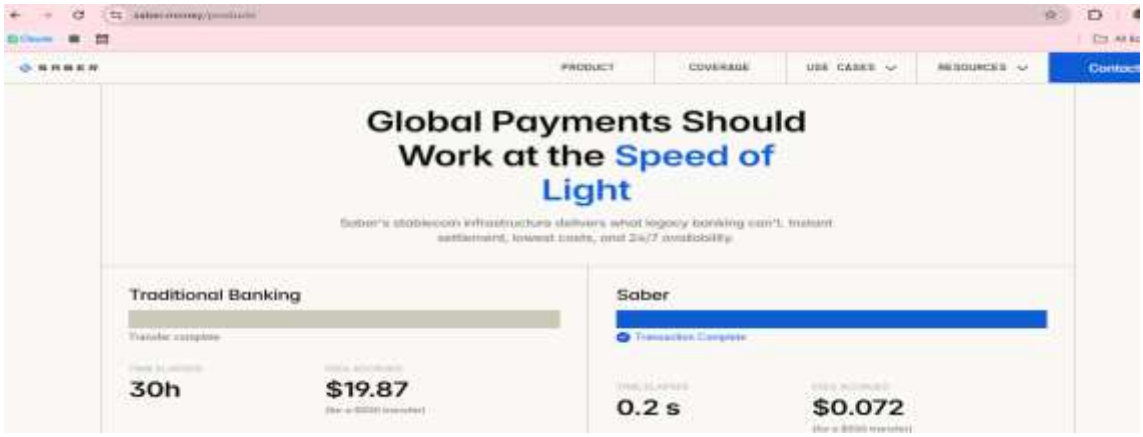
यह संस्था क्रिप्टोकरेंसी (यानी वर्चुअल एसेट्स) के लिए 'ऑन-रैंप' और 'ऑफ-रैंप' सेवाएं देती है, जिससे सीमाओं के पार पैसे भेजना संभव हो जाता है। साथ ही, यह फिएट को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर उसे दूसरे देशों में भेजने की सुविधा भी देती है।

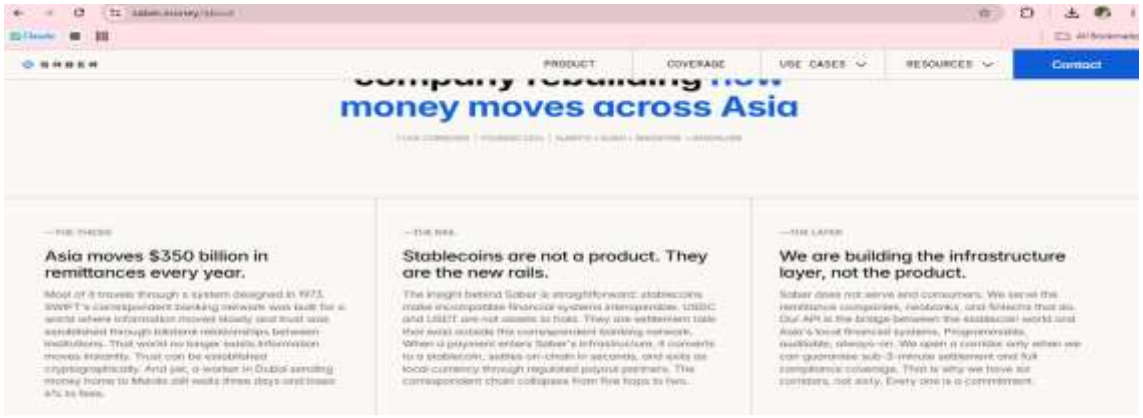
'ऑन-रैंप' एक ऐसी सेवा है, जिसकी मदद से यूज़र पारंपरिक "फिएट" मुद्रा (जैसे INR, USD, EUR आदि) को बिटकॉइन या स्टेबलकॉइन्स (जैसे USDT) जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में बदल सकते हैं।

'ऑफ-रैंप' एक ऐसी सेवा है, जिसके ज़रिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को बेचकर नकद राशि वापस अपने बैंक खाते में निकाली जा सकती है।

इन संस्थाओं द्वारा जारी किए गए कुछ विज्ञापन इस प्रकार हैं:









तलाशी के दौरान मिले सबूतों और फेमा , 1999 के तहत दर्ज बयानों के आधार पर, वीडीए (वर्चुअल डिजिटल एसेट्स) के जरिए सीमा पार पैसे भेजने का यह तरीका सामने आया है:

i) जो कोई भी पैसे भेजना चाहता है, उसे इन प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर करना होगा।

ii) पैसे को कंपनी के बैंक खाते में जमा करना होगा।

iii) इस पैसे का इस्तेमाल वीडीए खरीदने के लिए किया जाएगा, खासकर स्टेबलकॉइन्स (जैसे USDT) खरीदने के लिए।

iv) इन वीडीए को भारत में मौजूद क्रिप्टो एक्सचेंजों पर बेचा जाएगा और इससे मिलने वाली रकम पाने वाले व्यक्ति को भेज दी जाएगी।

जांच से पता चला है कि जो संस्थाएं वीडीए (वर्चुअल डिजिटल एसेट्स) के जरिए सीमा पार पैसे भेजने की सुविधा दे रही हैं, वे फंड के आने और जाने (इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंस) के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तय किए गए किसी भी नियम का पालन नहीं कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर संस्थाएं आधिकारिक माध्यमों से बचने के लिए विदेशों में रजिस्टर्ड अपनी ही दूसरी कंपनियों का इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि इनका नियंत्रण और संचालन भारत से ही किया जाता है।

निदेशालय द्वारा इस इकाई के खिलाफ की गई तलाशी कार्रवाई से पता चला है कि इसमें बड़ी मात्रा में ओवर-द-काउंटर सौदों का इस्तेमाल किया गया, विशेष रूप से कनाडा, लिथुआनिया और अमेरिका जैसे देशों में बनाई गई 'शेल' (फर्जी) कंपनियों का उपयोग हुआ, और बिना अनुमति के सीमा पार पैसे भेजने के लिए विदेशी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का सहारा लिया गया। यह भी सामने आया है कि यह इकाई बायनेन्स और बायबिट जैसे विदेशी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो की खरीद-बिक्री कर रही है। फेमा नियमों का उल्लंघन करते हुए, इस इकाई ने विदेशी प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो के रूप में भारी संपत्ति जमा कर रखी है। यह इकाई फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, विदेशों में क्रिप्टो के जरिए खर्चों का भुगतान भी कर रही है। जांच के दौरान शुरुआती नतीजों से पता चला है कि फेमा का उल्लंघन किया गया है; इसमें बिना अनुमति के सीमा-पार पैसों का ट्रांसफर और विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर 4600 करोड़ रुपये से अधिक का अनधिकृत क्रिप्टो बैलेंस शामिल है।

इंस्टैडैप

इंस्टैडैप एक डेफी स्मार्ट प्रोटोकॉल है जिसे एथेरियम ब्लॉकचेन पर तैनात किया गया है। यह क्रिप्टो टोकन का उपयोग करके विकेंद्रीकृत वित्त के लिए एक मंच प्रदान करता है। यानी, इंस्टैडैप प्रोटोकॉल अपने उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टो टोकन का उपयोग करके उधार देने, उधार लेने और अदला-बदली करने की गतिविधियों के लिए एक स्मार्ट अनुबंध प्रदान करता है।

~~**इंस्टैडैप क्या करता है**: इंस्टाडैप एक क्रिप्टो-आधारित "डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस" (DeFi) प्लेटफॉर्म है।~~ यह एक ऐसे ऑनलाइन बैंक की तरह काम करता है, जिसमें कर्मचारियों और शाखाओं के बजाय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। इसमें यूज़र अपने क्रिप्टो टोकन उधार देकर ब्याज कमा सकते हैं, अपने पास मौजूद क्रिप्टो के बदले लोन ले सकते हैं, और एक टोकन को दूसरे टोकन से बदल (स्वैप कर) सकते हैं। यह सब 'स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट' कहलाने वाले ऑटोमेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए होता है। 2018 में शुरू हुआ यह प्लेटफ़ॉर्म अब मुख्य रूप से "फ्लुइड" (Fluid) नाम से काम करता है। इस पर होने वाले हर लोन, उधार और स्वैप (लेन-देन) से यह छोटी-छोटी फीस के ज़रिए कमाई करता है। ओपन-सोर्स डेटा के अनुसार, इस प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद क्रिप्टो की वैल्यू एक अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है, और अब तक इससे लगभग 149 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल फीस कमाई गई है। इस प्लेटफ़ॉर्म का अपना क्रिप्टो टोकन भी है, जो इसके संस्थापकों, टीम और शुरुआती निवेशकों को दिया गया था; इन टोकन को क्रिप्टो एक्सचेंजों पर बेचा जा सकता है।

हालाँकि यह प्लेटफॉर्म एक अमेरिकी कंपनी (इंस्टैडैप लैब्स एलएलसी, डेलावेयर) द्वारा संचालित दिखाया गया है, लेकिन जुटाई गई जानकारी से पता चला है कि यह केवल कागजों पर मौजूद एक कंपनी है, और इसके संस्थापक तथा डेवलपमेंट टीम भारत से काम करते हैं। निदेशालय द्वारा जुटाई गई जानकारी से यह भी पता चला कि इस कंपनी ने 'इंस्टैडैप डेफी प्रोटोकॉल' से कमाई गई रकम को, फेमा के नियमों का पालन किए बिना, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे 'टैक्स हेवन' (कर बचाने वाले देशों) के रास्ते भेजा था। इसी आधार पर, फेमा की धारा 37 के तहत बेंगलुरु में दो जगहों और मध्य प्रदेश में एक जगह पर तलाशी अभियान चलाया गया।

स्टाडैप/फ्लूइड को संस्थापकों द्वारा अमेरिका स्थित एक विदेशी, विकेन्द्रीकृत व्यवसाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन जांच अभियान के दौरान जुटाए गए सबूतों से पता चला कि इसका प्रबंधन भारत से संस्थापकों में से एक सौमय जैन द्वारा किया जाता है। जांच में यह भी सामने आया कि संस्थापक कई ऐसे

कागज़ी उद्यम चला रहे थे जो जाने-माने टैक्स हेवन में पंजीकृत थे, जैसे कि इंस्टाडैप लैब्स इंक (डेलावेयर), इंटरॉप लैब्स लिमिटेड और समरस्पीक लिमिटेड (ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स), अपसर्ज लैब्स प्राइवेट लिमिटेड और भिंडी लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (सिंगापुर) और पेबल लैब्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड (दुबई)। तलाशी की कार्रवाई से पता चला कि इन शेल इकाइयों का उनके पंजीकरण वाले स्थान पर न तो कोई भौतिक कार्यालय था और न ही कोई कर्मचारी। ये इकाइयां विदेशी मुद्रा में कमाई गई आय को भारत भेजने के लिए एक आवरण (फ्रंट) के रूप में काम कर रही हैं। तलाशी के दौरान यह भी सामने आया कि पूरा 'डेफी' प्रोटोकॉल और उससे जुड़ी गतिविधियां भारत से ही संचालित की जा रही हैं।

तलाशी अभियान से पता चला कि 'इंस्टैडैप डेफी प्रोटोकॉल' से हुई कमाई और निवेशकों से जुटाई गई रकम, 'इंटरऑप लैब्स लिमिटेड' (BVI) के मल्टी-सिग्नेचर वॉलेट में 'स्टेबलकॉइन्स' के रूप में प्राप्त हुई थी। इन वॉलेट्स को भारत में मौजूद लोग नियंत्रित करते हैं। इन स्टेबलकॉइन्स को 'इंडिपेंडेंट रिज़र्व सिंगापुर' और क्यूसीपी कैपिटल, सिंगापुर' में बेचा गया, और इससे प्राप्त फिएट करेंसी को 'अपसर्ज लैब्स प्राइवेट लिमिटेड' और 'भिंडी लैब्स प्राइवेट लिमिटेड' के सिंगापुर स्थित बैंक खातों में जमा किया गया। ये दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं। इन बैंक खातों से पैसा भारत स्थित इकाइयों को भेजा गया, जिसे फर्जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंसल्टेंसी फीस के रूप में दिखाया गया। इसके अलावा, भारत स्थित इकाइयों के खर्चों का भुगतान करने के लिए सिंगापुर के बैंकों के प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल भारत में किया गया। तलाशी के दौरान यह भी पता चला कि सिंगापुर के बैंक खातों से पैसा 'इंस्टाडैप डेफी प्लेटफॉर्म' के संस्थापकों के दुबई स्थित बैंक खातों में भेजा गया था।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि फेमा, 1999 का उल्लंघन हुआ है, जो लगभग 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है।

आगे की जांच चल रही है।